न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(168)

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/1566 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–5–2017 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 6/अपील/16–17.

1– पूरनसिंह आत्मज स्व. आलमसिंह
2– राजवीर सिंह आत्मज पूरनसिंह
निवासीगण वीरपुर
तहसील बेगमगंज जिला रायसेन .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती जमनाबाई पत्नी स्व. रतनसिंह
2– श्रीमती सुष्माबाई पुत्री स्व. रतनसिंह
पत्नी कैलाश
निवासीगण वीरपुर
तहसील बेगमगंज जिला रायसेन .....अनावेदकगण

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/12/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–5–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका कमांक 1 के पति एवं अनावेदिका कमांक 2 के पिता मृतक रतनसिंह द्वारा तहसीलदार, बेगमगंज के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया किता ग्राम वीरपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 167, 186/1, 186/2 व 192 कुल रकबा 11.53 एकड़ एवं इटैया स्थित भूमि सर्वे कमांक 87, 88, 89, 90, 91, 100, 101, 113, व 114 कुल रकबा 22.66 एकड़ तथा भैंस्वाई खुर्द स्थित सर्वे कमांक 207, 227 व 246 कुल रकबा 18.76 एकड़ भूमि का कब्जा अनुसार उसके सगे

भाई आवेदक कमांक 1 पूरनसिंह एवं मॉ रज्जोबाई के बीच बटवारा किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 69/अ–27/11–12 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । कार्यवाही के दौरान रतनसिंह की मृत्यु हो जाने पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 7–5–2015 को आदेश पारित कर रतनसिंह के स्थान पर उसके वारिसान अनावेदकगण का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर दर्ज किया जाकर यह निर्देश दिये गये कि यदि अनावेदकगण प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा चाहते हैं तो पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी रायसेन के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 6–8–2015 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुए तहसीलदार का आदेश निरस्त कर मूल आवेदन पत्र के अनुसार आलमसिंह के तीनों वैध उत्तराधिकारी पूरनसिंह, स्व. रतनसिंह के स्थान पर उसके उत्तराधिकारी जमनाबाई एवं सुष्माबाई अनावेदकगण तथा वसीयतनामा के आधार पर रज्जोबाई के स्थान पर अनावेदक कमांक 2 राजबीर के मध्य 1/3–1/3 बटवारा स्वीकृत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 16–5–2017 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में इस न्यायालय के समक्ष आयुक्त के आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 9–6–16 को आदेश पारित कर प्रकरण इस निर्देश के साथ आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया गया था कि उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त साक्ष्य लेकर प्रकरण का निराकरण करें, परन्तु आयुक्त द्वारा बिना इस न्यायालय के आदेशों का पालन किये आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि आवेदक कमांक 2 रज्जोबाई की मृत्यु उपरान्त उसके द्वारा निष्पादित वसीयतनामा तहसील न्यायालय में प्रमाणित किया गया था, इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि वसीयत निष्पादन के खण्डन में अनावेदकगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है ।

उनके द्वारा आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:–

(1) बटवारा प्रकरण में रतनसिंह की मृत्यु के उपरान्त बटवारा किया जाना संभव नहीं था, इसलिए अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 23 नियम 1 के अन्तर्गत प्रकरण वापिस लिये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था । तहसील न्यायालय द्वारा मृतक रतनसिंह के वारिसान हक में नामान्तरण स्वीकृत किया गया और वारिसान के बिन्दु पर आवेदकगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। फौती नामान्तरण की कार्यवाही उचित है, क्योंकि बगैर नामान्तरण के बटवारे की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है ।

(2) आवेदक कमांक 2 ने वसीयतनामा के आधार पर बटवारा प्रकरण में मात्र आपत्ति प्रस्तुत की थी, कोई काउण्टर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया था, इस कारण बटवारा आवेदन पत्र पर आदेश पारित नहीं होने के कारण आपत्ति पर भी कोई निर्णय नहीं लिया जाना संभव नहीं है । आवेदक कमांक 2 चाहिए था कि वह वसीयतनामा के आधार पर पृथक से नामान्तरण की कार्यवाही करते

(3) तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतरिम प्रकृति का आदेश है, जिसके विरूद्ध अपील प्रचलन योग्य नहीं है, फिर भी इस ओर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वसीयत मान्य करते हुए आवेदक कमांक 2 का 1/3 भाग पर नामान्तरण एवं बटवारे का आदेश पारित किया गया है, जो अवैधानिक एवं अनुचित है, क्योंकि नामान्तरण एवं बटवारे का आदेश एक साथ पारित किया जाना विधिसंगत नहीं है ।

(4) आयुक्त द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामान्तरण एवं बटवारे का आदेश एकसाथ पारित किया गया है, जो विधिक नहीं है, क्योंकि जब तक मृतक भूमिस्वामी रतनसिंह के वारिसान का नामान्तरण नहीं होगा, तब बटवारा नहीं किया जा सकता । अतः आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाये एवं निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आयुक्त द्वारा राजस्व मण्डल के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में

प्रकरण का पुनः परीक्षण कर अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामांतरण एवं बटवारा की कार्यवाही एकसाथ की गई है, जबकि बटवारा एवं नामांतरण की कार्यवाही एकसाथ नहीं की जा सकती है । अतः उभय पक्ष मृतक रतनसिंह के वारिसानों को अभिलेख पर लेने के उपरान्त बटवारे की कार्यवाही हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करें । आयुक्त द्वारा निकाला गया उपरोक्त निष्कर्ष वैधानिक दृष्टि से उचित है, किन्तु आयुक्त को अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश भी निरस्त करना चाहिए था । अतः आयुक्त के आदेश में अनुविभागीय अधिकारी, रायसेन का आदेश दिनांक 6–8–2015 एवं तहसीलदार, बेगमगंज का आदेश दिनांक 7–5–2015 निरस्त करने संबंधी संशोधन किया जाता है । उक्त संशोधन के साथ आयुक्त का शेष आदेश यथावत रखा जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर